भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1805

दिनांक, 08.03.2016/18 फाल्गुन, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

सुभाष चन्द्र बोस की प्रतीमा की स्थापना

†1805. **श्री बिष्णु पद राय:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि डिगलीपुर तहसील, नार्थ अण्डमान के 10 प्रधान, 6 पंचायत समिति सदस्य और 3 जिला परिषद् सदस्यों ने 18.11.2015 को उप-राज्यपाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सुभाष ग्राम डिगलीपुर के उसी स्थान पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (27.9.2014 को हटाया गया) की प्रतीमा को पुन: लगाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो प्रशासन द्वारा प्रतीमा को उसी स्थान पर लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी**)

(क): **जी, हां।**

(ख) और (ग): **अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अभ्यावेदन की जांच की गई थी। इस अभ्यावेदन पर अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा विचार नहीं किया गया था क्योंकि यह स्थान वर्ष** 2006 **की एसएलपी (सिविल) संख्या** 8519 **(भारत संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक** 18.01.2013 **के निदेश के उल्लंघन में है।**

****